राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या/57/2015/चितौडगढ

मैसर्स सांई इन्फ्रास्ट्रक्चर,
भावलिया, निम्बाहैडा।

.....अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
चितौडगढ।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री वी.के.पारीक एवं श्री श्याम पारीक,
अभिभाषकगण

....अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा,
उपराजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 06/03/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 58/वैट/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, चितौडगढ (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित ई.सी. आदेश दिनांक 24.09.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के तहत् ई.सी. फीस राशि रूपये 30,898/– को यथावत रखा गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा "Construction of Security Barrack at Plant Site, Bhawaliya, Chittorgarh" का कार्य किया जाकर उसे बाउण्ड्रीवाल का निर्माण दर्शाकर 1 प्रतिशत की दर से ई.सी. प्रमाण पत्र चाहा गया था, इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने ई.सी. आदेश दिनांक 24.09.2013 पारित करते हुए इस कार्य को बाउण्ड्रीवाल का कार्य नहीं मानकर 3 प्रतिशत की दर से ई.सी. जारी कर दी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.08.2014 द्वारा ई.सी. शुल्क को यथावत रखा गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषकगण ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी फर्म को मोहित भाटीज से वर्क ऑर्डर बाउण्ड्रीवाल निर्माण का प्राप्त हुआ था, एवं राज्य बजट 2012–13 की अधिसूचना संख्या 12–114 दिनांक 01.04.2012 के अनुसार बाउण्ड्रीवाल निर्माण पर ई.सी. शुल्क 1 प्रतिशत निर्धारित है। आगे उन्होने अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करके कर

लगातार.....2

निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी को "Construction of Security Barrack at Plant Site, Bhawaliya, Chittorgarh" का कार्य आदेश प्राप्त हुआ था, जो कि बाउण्ड्रीवाल की श्रेणी में नहीं आने से 3 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। उन्होंने आगे अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया, एवं उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी को **"Construction of Security Barrack at Plant Site, Bhawaliya, Chittorgarh" का कार्य आदेश प्राप्त हुआ था, जो कि कर निर्धारण पत्रावली के पृष्ठ संख्या 7 पर अंकित है।** Security Barrack से तात्पर्य है कि "A barracks is **building or group of building** where soldiers/security members live and work." इस प्रकार उक्त Security Barrack की परिभाषा से स्पष्ट है कि Security Barrack **"बाउण्ड्रीवाल"** की श्रेणी में नहीं आता है। Security Barrack पर ई.सी. के लिए राज्य बजट 2012–13 की अधिसूचना संख्या 12–114 दिनांक 01.04.2012 का अध्ययन आवश्यक है, इसके अनुसार :–

S.N.	Description of Works Contract	Rate of exemption fees as a % of total value of the contract
1.	Works contract where the cost of materials does not exceed 5% of the total contract amount.	**0.25%**
2.	Works contract relating to EPC turnkey power projects awarded by Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited. Works contract relating to construction of roads, runways, bridges, dams, drains, tunnels, channels, barrages, diversion, railway tracks, causeway, sub-ways, spillways, boundary walls and water harvesting structures.	**1.00%**
3.	Any other kind of works contract not covered by item no. 1 and 2	**3.00%**

उक्त अधिसूचना से स्पष्ट है कि Security Barrack पर ई.सी. दर 1 प्रतिशत की नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस 3 प्रतिशत से जारी करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

7. फलतः अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदशों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य